

PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 31(2) & 31 (A) read with regulation 12 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016 as amended on 25th July 2019
For the attention of Stakeholders of
Dynamic Shells (India) Private Limited (In Liquidation)
Registered Office : R-122 GREATER KAILASH - 1 NEW DELHI-110048

Pursuant to Regulation 31(2) of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process)
Regulations ("Regulations") 2016, Public Announcement is hereby made for all the Stakeholders of Dynamic Shells Private Limited (In Liquidation) that the list of Stakeholders showing the complete amount of claims admitted by the Liquidator (modified, if any) has been filed on 4th November 2019 with the Hon'ble NCLT, Principle Bench, New Delhi, the Adjudicating Authority.

The List of Stakeholders, as modified, from time to time, shall be

- Available for inspection by the persons who submitted proofs of claim and
- Available for inspection by members, Partners, Directors and Guarantors of the corporate debtors

At my office at : 304, DR Chamber, 12/56 BD Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005 (Registered Office at LD-46 Pitampura, Delhi - 110034) or on the website, if any, designated by the Board @ibbi.gov.in for the purpose

The liquidator has also constituted Stakeholders' consultation committee.

Ashok Kumar Gupta (Liquidator)

Place : Delhi Date : 04-11-2019

Reg:IBBI/PA-003/IP-N00010/23018-2017/10072

COURT NOTICE
In the court of Sh. Satish Kumar Sharma JMC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgements will be given
Case information is available on
<http://scourts.gov.in>

CNR NO. PLB03-020647-2017
NEXT DATE : 27-11-2019
BHUSHAN GOYAL
VS.

SURESH KUMAR
PUBLICATION ISSUED TO: SURESH KUMAR
S/B TATA RAM ROO VILLAGE MEGA MAJRA
PO BHUSHAN TEH PEOHWA KURUKSHETRA
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you have the above named accused / accused person/s liable in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you. With a direction that you should appear before this court on 27-11-2019 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this notice.

To declare that the case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence.

Dated, this day of 18-10-2019 For details logon to

https://highcourtchd.gov.in/?tra=district_notice&district=ludhiana

JMC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Satish Kumar Sharma JMC Ludhiana

CNR NO. PLB03-062798-2018

NEXT DATE: 02-12-2019

M/ INDOGUL CROPSCIENCES LIMITED VS

M/s LAKSHMI NARSIMHA TRADERS

PUBLICATION ISSUED TO: 1. M/s LAKSHMI NARSIMHA TRADERS NEW ELURU BUST STONE GUIDE 534102 DIST.

2. SHODH GADARAGALI BHIMESWAR RAJOO

MOBILE 9440194434 PROP/ AUTH SIGN

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused / accused person/s liable in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you. With a direction that you should appear before this court on 02-12-2019 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this notice.

To declare that the case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.

Given under my hand and the seal of the court this 22-11-2019, for details logon to

https://highcourtchd.gov.in/?tra=district_notice&district=ludhiana

JMC LUDHIANA

RUCHIRAS PAPERS
पंजीकृत कार्यालयः त्रिलोकपुर रोड,
कला अंग, जिला सिरसर
(फि. प्र.)-173001

CIN: L21012HP1980PLC00436

www.ruchirapers.com

सूचना

सेवी (सूचीयन दाखिल तथा उद्घाटन अधिकारी) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पहिले विनियम 47 के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट

www.ruchirapers.com तथा

स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट

www.bseindia.com पर तथा

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

www.nseindia.com पर तथा

उपलब्ध है।

रुचिरा पेपर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

विवर संघी

कंपनी सचिव

04.11.2019

KLICH

JMC LUDHIANA

पॉल मर्चेन्स लिमि.

(आधिकारी 9001/2015 प्रमाणित क.)

(सीएसई ए-74900DL1984PLC018679)

संघी: कार्यालयः 335, 336, 337, तीसांतर तल, ईपीएफ टावर, 15, गिरिहारी मार्ग, नव दिल्ली-110024, फोनः 0172-5041766,

फैक्सः 0172-5041709, ई-मेलः

info@paulmerchants.net

पंजीकृत कार्यालयः एपीएसी 300, सूक्ष्मा रोड, नई दिल्ली-110024, फोनः 011-4702000, वेबसाइटः

www.paulmerchants.net

सार्वजनिक सूचना

सेवी (आधिकारी के सूचीयन दाखिल तथा प्रकटीकरण अधिकारी) विनियम, 2015 के विनियम 29 (1) (ए) व 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (ए) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की जारी प्राप्ति से साथ ही एवं द्वादशा सुचित किया जाता है।

विनियम 29 (1) (इ) के प्राप्तानकों के अनुसार मैं एवं द्वादशा सुचित किया जाता है कि कंपनी के एक बैंकी के निदेशक मंडल की एक वैधता अवधि अधिकारी की